स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 170, दिनांक 07–06–2024

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य 10.300 किग्रा चरस के साथ कानपुर से गिरफ्तार।

दिनांकः 07–06–2024 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को 10.300 किग्रा चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 50 लाख रूपये) के साथ कानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1– शादाब उर्फ चन्दू पुत्र महताब अहमद निवासी 88/255 आलम मार्केट बॉस मन्डी, थाना अनवरगंज, कानपुर

2– अब्दुल सलाम पुत्र मो0 जाकिर मिया निवासी घुमरिया नौका टोला, वार्ड न0 6, रक्सौल, बिहार।

बरामदगी–

1– 10.300 किलोग्राम अवैध चरस (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 50 लाख रूपये)
2– 02 अदद मोबाइल फोन।
3– 02 अदद आधार कार्ड।
4– 01 अदद डेबिट कार्ड।
5– 01 अदद ट्रेन टिकिट।
6– 01 अदद एटीएम कार्ड।
7– 01 अदद रोडवेज बस टिकिट।
8– नगद राशि 3356/– रूपये ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः– लोको कॉलोनी के अन्दर, सीनियर सेक्शन के पास, रेलवे ओवरब्रिज के नीचे, थाना क्षेत्र रेलबजार, कानपुर कमिश्नरेट।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक 07–06–2024 को उ0नि0 विनोद कुमार के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी अब्दुल कादिर व मुख्य आरक्षी धीरेन्द्र की एक टीम को अभिसूचना संकलन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थ चरस की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य रक्सौल, बिहार से दिल्ली के रास्ते अवैध चरस की खेप लेकर कानपुर आने वाले हैं, जिसकी सप्लाई कानपुर नगर व देहात क्षेत्र में होनी है। इस सूचना पर एसटीएफ कानपुर टीम द्वारा कानपुर रेलवे स्टेशन के पास से 02 तस्करों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल सलाम ने पूछताछ में बताया कि वह घुमरिया नौका टोला रक्सौल, पूर्वी चम्पारन, बिहार का रहने वाला है। पेशे से बिजली मिस्त्री है। बीरगंज, नेपाल के श्याम कुमार द्वारा एक गैलन, जिसमे चरस भरकर लग्जरी वाल्वो बस से मोतिहारी बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचाया था। इस चरस को दिल्ली से कानपुर शादाब को पहुंचाने के लिए रू0 5000/—मिलते। इन रूपयों की लालच में दिल्ली से चरस का गैलन लेकर कानपुर शादाब को देने आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त शादाब उर्फ चन्दू ने पूछतॉछ में बताया कि वह अलम मार्केट, बांस मन्डी अनवरगंज, कानपुर का रहने वाला है। पूर्व में हत्या व हत्या के प्रयास में जेल जा चुका है। गोलू निवासी कर्नल गंज ने नेपाल के श्याम कुमार से सम्पर्क करवाया था। श्याम कुमार द्वारा भेजे गये चरस के गैलन को लेने स्टेशन पर आया था।

<u>अभियुक्त शादाब उर्फ चन्दू का ज्ञात आपराधिक इतिहासः—</u>

1— 173/2008 धारा 302 भादवि, थाना रायपुरवा, कानपुर।
2— 94/2018 धारा 307 भादवि थाना रायपुरवा, कानपुर
3— 98/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रायपुरवा, कानपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 96/2024 धारा 8/20/22/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस थाना रेल बजार पुलिस, कमिश्नरेट कानपुर द्वारा की जायेगी।